P-4549
18/4/19

(21)

न्यायालय JM-1 Jaipur Distt
प्रकरण संख्या 188/17 राज्य [illegible] बनाम [illegible]
तारीख पेशी/फैसला 12/4/19 की
प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय, आदेशिका

जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला जयपुर

	न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1 जयपुर जिला, जयपुर	
तारीख	*पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश* *सरकार बनाम जसप्रीत, केस नं. 188/19*	*आदेश की अनुपालना का र*
12.04.19	सहायक अभियोजन अधिकारी उप.। अभियुक्त जसप्रीत मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष बहस अंतिम सुनी गई एवं निर्णय पृथक से लिखाया जाकर, सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्त जसप्रीत सिंह कमल पुत्र स्व. दर्शन सिंह कौर जाति पंजाबीनिवासी ए–365 विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर हाल वालग्रीन 308, वीलमोट रोड, डीयरफील्ड इलनॉय शिकागो यू.ए.एस. को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए, 406 के आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में माल वजह सबूत जब्त नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत अभियुक्त के पासपोर्ट को बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अन्यथा आदेश नहीं होने पर नियमानुसार अभियुक्त को लौटाया जावे। अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अभियुक्त अपनी उपस्थिति बाबत् धारा 437–ए दं.प्र.सं. के तहत छः माह की अवधि के लिए 10,000 रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश करें। मुलजिम ने मुताबिक आदेश जमानत मुचलके पेश किये जो बाद जांच तस्दीक किये गये। प्रकरण में कोई माल लंबित नहीं है, ना ही प्रकरण में अब कोई कार्यवाही किये जाना शेष है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 1 जयपुर जिला जयपुर	JSKamal 12/4/2019 प्रति हस्ताक्षरित प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय जिला जयपुर 24 APR 2019 सत्य-प्रतिलिपि मुख्य प्रतिलिपिक केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर जिला जयपुर जयपुर जिला जयपुर

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–1, जयपुर जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति प्रीति चौधरी, आर.जे.एस

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला जयपुर
24 APR 2019

प्रकरण संख्या : 188/19 (267/2016)

(NCV No 774 /19)

राजस्थान सरकार

ब ना म

जसप्रीत सिंह कमल पुत्र स्व. दर्शन सिंह कौर जाति पंजाबी निवासी ए–365 विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर हाल वालग्रीन 308, वीलमोट रोड, डीयरफील्ड इलनॉय शिकागो यू.ए.एस.

......अभियुक्त

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला जयपुर

अपराध अन्तर्गत धारा : 498–ए, 406 भा0दं0सं.

उपस्थितिः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते सरकार।
2. श्री गिरिश दूबे, व श्री जगदीश चंद शर्मा अधिवक्ता, अभियुक्त।

::निर्णय:: **दिनांक 12 अप्रैल, 2019**

यह प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना में न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, कम–12, जयपुर महानगर से अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना मानसरोवर में दि. 23.2.15 को इस आशय की पेश की गयी कि उसका विवाह जसप्रीत सिंह कमल के साथ जयपुर में हुआ था तथा विवाह के तुरंत पश्चात् उसकी सास, पति, ननद एवं ननदोई ने उसे दहेज के लिये प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उससे विवाह में वर्ना कार की मांग की तथा पति के लिये सोने की चैन, अंगूठी, सास के लिये सोने

मांग की, जिस पर उसके पिता ने उनकी मांग के अनुसार सामान दिया तथा कपडे व नकद तथा अन्य सामान दिये तथा उनकी मांग के अनुसार विवाह का स्थान लेकर, खाना दिया, जिसमें करीब 15,00,000रूपये खर्च किये तथा विवाह में वर्ना कार के स्थान पर सेन्ट्रो कार दी, जिससे उसकी सास, पति, ननद एवं ननदोई उसे शारीरिक व मानसिक यातनायें देने लगे।

उसके पति व सास ने उसके समस्त जेवरात अपने कब्जे में ले लिये व उसे घर से बाहर निकाल दिया और अपने पिता से वर्ना कार लाने को कहा, तब उसके पिता ने उसकी सास व पति से मिलकर वर्ना कार खरीदकर देने के लिये कुछ समय लिया और उसे बी.एड़ करवाकर, उसका समस्त खर्चा वहन किया।

परिवादिया के पति का स्थानांतरण शिकागो यू.एस.ए. में होने पर वह अपने पति के पास चली गयी। उसके पति ने उसे इस शर्त पर बुलाया कि उसके पिता वर्ना कार के स्थान पर उसकी सास को 10,00,000रूपये देंगे। जब उसके पिता रूपयों का इंतजाम नहीं कर पाये तो उसका पति उससे नाराज रहने लगा और उसे मानसिक व शारीरिक यातनायें देने लगा और कहा कि वह उसे तलाक दे देगा। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे टिकिट भेजकर वापस भारत बुला लिया।

तत्पश्चात् उसके पिता उसकी ननद व ननदोई से मिले और शीघ्र ही मकान बेचकर 10,00,000रूपये देने का आश्वासन दिया, तब उसके पति ने उसे दि. 10.10.12 को पुनः यू.एस.ए. बुला लिया, वहां वह गर्भवती हो गयी। तब उसके पिता से 10,00,000रूपये नहीं मिल पाने पर उसका पति फिर से उसे मानसिक यातनायें देने लगा। 6.7.13 को उसने पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद भी उसके पिता ने जब दस लाख रूपये नहीं दिये तो उसकी सास व पति ने उसके साथ मारपीट की व कमरे में बंद कर दिया और दि. 16.9.13 को उसे वापस भारत भेज दिया और कहा कि वह अपने पिता से 10,00,000रूपये लेकर आये, अन्यथा वह उसे तलाक दे देगा। उसकी सास, पति, ननद एवं ननदोई ने उसका स्त्री धन ले लिया और बार-बार दहेज की मांग करते हैं.....आदि।

सत्य-प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक

12.4.19
न्यायिक मजिस्ट्रेट

उक्त रिपोर्ट पर महिला थाना दक्षिण जयपुर द्वारा मुकदमा संख्या 29/2015 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त जसप्रीत के विरूद्ध धारा 498-ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

बहस चार्ज सुनी जाकर, अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 498-ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 मीनाक्षी, पी0ड0 2 शशि, पी.ड. 3 राकेश व पी.ड. 4 सुनीता बायल को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 ता प्रदर्श पी 40 को प्रदर्शित करवाया गया।

अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये तो अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताते हुए, कथन किया है कि वह निर्दोष है। उसे झूंठा फंसाया गया है। नवम्बर 2014 में तलाक की याचिका उसने दायर की थी, जिसका नोटिस प्राप्त होने पर काउन्टर ब्लास्ट के रूप में यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया है और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 ता प्रदर्श 115 पेश कर प्रदर्शित कराये।

बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई है, जिनका भी अवलोकन किया गया।

प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्न है :-

"क्या अभियुक्त ने परिवादिया मिनाक्षी को दहेज के लिए समय-समय पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित कर परिवादिया व उसके परिवारजनों से दहेज की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से मांग की और परिवादिया का स्त्री धन मांगने पर नहीं लौटाकर

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
जिला जयपुर

आपराधिक न्यासभंग कारित किया ?"

यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार है ?

उक्त विचारणीय बिन्दु पर सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता परिवादिया ने तर्क दिए हैं कि विवाह के पश्चात् से ही अभियुक्त, परिवादिया की सास, ननद वर्ना कार की मांग कर रहे थे। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी परिवादिया के बकाया दहेज के सामान के संबंध में तफ्तीश की गई, जिसमें दोनों ने बकाया सामान एक दूसरे के पास होने का आरोप प्रत्यारोप लगाया है, जिससे भी स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया का समस्त स्त्री धन परिवादिया को नहीं लौटाया गया है। विवाह के पश्चात् समय समय पर, यहां तक कि गर्भावस्था के दौरान भी अभियुक्त द्वारा परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुत्री के जन्म के बाद प्रताड़ना का दौर यह कहते हुए बढ़ गया कि बच्चे की वजह से खर्चा बढ़ गया है। परिवादिया द्वारा मांगे जाने पर भी परिवादिया का समस्त स्त्री धन व जेवरात अभियुक्त के कब्जे में है। परिवादिया व परिवादिया के माता-पिता की साक्ष्य से दहेज की मांग को लेकर परिवादिया के साथ अभियुक्त द्वारा क्रूरता किये जाना बखूबी प्रमाणित है तथा इसके अलावा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए, अभियुक्त को उक्त धाराओं में दोषसिद्ध करार किये जाने की प्रार्थना की है।

जबकि दूसरी ओर बचाव में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिए हैं कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। अभियुक्त द्वारा परिवादिया को किसी प्रकार की रोका-टोकी नहीं की गई, ना ही किसी प्रकार की दहेज की मांग की गई, वरन् परिवादिया को अभियुक्त के घर में पूर्ण आजादी थी। परिवादिया द्वारा अभियुक्त को मांग के अनुसार दहेज देने का कथन किया गया है, जबकि परिवादिया के पिता द्वारा किसी भी प्रकार का दहेज देने से स्पष्ट इंकार किया गया है। अभियुक्त द्वारा परिवादिया की पूर्ण जिम्मेदारी से देखभाल की जाकर, उसकी डिलीवरी में भी उसका ध्यान रखा तथा परिवादिया के अमेरिका से वापस भारत आने पर वह अपनी पुत्री का खर्चा बिना किसी आदेश के परिवादिया को दे रहा है। स्वयं परिवादिया अपनी सास के साथ रहना नहीं

सत्य-प्रतिलिपि

चाहती थी। स्वयं परिवादिया ने स्वीकार किया है कि उसके व उसके पति के मध्य विवाद का एक कारण उसकी सास भी है, स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। परिवादिया की प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस बयान व मुख्य परीक्षा के कथनों में भी विरोधाभास है। अभियुक्त द्वारा तलाक याचिका प्रस्तुत करने के बाद, नोटिस प्राप्त होने पर यह प्रकरण काउन्टर ब्लास्ट के रूप में दर्ज कराया गया है। स्वयं परिवादिया के पिता पी.ड. 3 अनुश्रुत गवाह है, जिसके द्वारा भी अभियुक्त को ईमेल में लिखे गये पत्र में दहेज की मांग बाबत् प्रताडित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है तथा इसके अलावा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए, अंत में अभियुक्त को उक्त धाराओं के अपराधों से दोषमुक्त करार किये जाने की प्रार्थना की है। अपने समर्थन में निम्न विधिदृष्टांत पेश किये हैं :

1. क्रिमीनल अपील नं. 949 / 03, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया
2. क्रिमि. एम.सी. नं. 2645753 / 05, दिल्ली उच्च न्यायालय
3.2011(2) सी.आर.एल.आर (राज.) 1386
4.2016(3) सी.आर.एल.आर.(राज.) 1151

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया जाकर सम्पूर्ण पत्रावली का, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन व अध्ययन किया गया।

उक्त विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराये गये गवाहान में गवाह पी0ड0 1 स्वयं परिवादिनी एवं आहता मीनाक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि उसका विवाह जसप्रीत सिंह के साथ जयपुर में हुआ था तथा विवाह के समय गवाह को सोने के जेवर, इलेक्ट्रोनिक सामान, फर्नीचर, सेन्ट्रो कार, कपडे व समस्त घरेलू सामान दिया था। विवाह के पश्चात् उसके पति नोएडा चले गये तथा वह अपनी सास के साथ जयपुर में रही। इस दौरान सास द्वारा स्वयं की बेटी से तुलना करते हुए, कम दहेज लाने हेतु ताना देने का कथन किया है। गवाह ने मई 2010 में पति के पास नोयडा जाने तथा

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला जयपुर

वहां पर पति द्वारा नौकरी नहीं करने बाबत् ताना देने का कथन किया है। गवाह ने आगे कथन किया है कि उसका पति कहता था कि तुम्हारी, उसकी मां से नहीं बनती है तो वह उसे तलाक दे देगा। उसके पिता ने कार उसके (अभियुक्त) के नाम से क्या नहीं ली। जुलाई 2010 में उसका पति, उसे जयपुर छोड़ गया। सितम्बर 2010 में उसे लेने आया, उस दौरान उसका बीएड़ में दाखिला हो गया। 2010 से 2011 के बीच कभी वह अपनी सास व कभी अपने माता--पिता के पास रहती थी। सितम्बर 2011 में अपने पति के पास नोयडा जाने पर उसके पति द्वारा उसे कम दहेज लाने की बात पर, प्रताड़ित किया गया। मार्च 2012 में उसके पति का स्थानांतरण यू.एस.ए. में हो गया था, जिस पर वह अपनी सास को लेकर जयपुर आ गयी। उसका पति उससे बात नहीं करता था, वरन् उसकी सास से ही बात करता था। वर्ना कार की डिमाण्ड पूरी नहीं करने के कारण, उसका पति उससे बात नहीं करता था। गाडी नहीं देने की स्थिति में 10 लाख रूपये की मांग करता था। 5 अगस्त 2012 को उसके पति ने उसे शिकागो बुलाया और वहां पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया, जिस कारण वह दि. 5.10.12 को जयपुर आ गयी। उसकी ननद व ननदोई के समझाने पर उसके पति ने उसे वापस बुला लिया। 10 अक्टूबर को वह शिकागो चली गयी, वहां पर गर्भवती हो गयी। गर्भावस्था के दौरान उसका पति उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता था। 4–4 दिन तक उससे बात नहीं करता था। अप्रैल 2013 में उसके पिता के बारे में घटिया बातें करना शुरू कर दिया। जून 2013 में उसकी सास यू.एस.ए. आ गयी। सास भी यू.एस.ए. में उससे दहेज की मांग करती थी। 3 जुलाई 2013 में जसप्रीत से उसके साथ मारपीट की तथा डिलीवरी के बाद उसकी सास लडाई करती थी कि बच्चे की वजह से खर्चा बढ गया है। 16 सितम्बर 2013 को वह बेटी के साथ जयपुर आ गयी, तब से वह अपने माता–पिता के साथ रह रही है। गवाह ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, दहेज के सामान की सूची प्रदर्श पी 2, चाक एफ. आई.आर. प्रदर्श पी 3, शादी के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 4 ता पी 11, फर्द सुपुर्दगी व पेशगी प्रदर्श पी 12, सामान सूची प्रदर्श पी 13, शादी का कार्ड प्रदर्श पी 14 होने की भी साक्ष्य दी है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसका

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला जयपुर

स्त्री धन आधा ही उसे प्राप्त हुआ है, कुछ सामान उन्हीं (ससुराल पक्ष) के पास है।

गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि शादी के बाद भी ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी। वो सामान की लिस्ट देते थे और फोन पर भी डिमाण्ड करते थे, ऐसी कोई लिस्ट उसने अनुसंधान के समय पेश नहीं की, ना ही न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। सेन्ट्रो कार उसके पिताजी ने उसके नाम से दी थी, जो वर्तमान में उसके पास ही है। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि डिमाण्ड शादी के पहले की थी, लेकिन उसकी शिकायत नहीं की। स्पष्टीकरण के रूप में कहा कि डिमाण्ड शादी का कार्ड छपने के बाद की थी। गवाह ने यह भी सही होना बताया कि उसकी ननद शादीशुदा है जो अपने पति व बच्चों के साथ दिल्ली रहती है। नोयडा रहने के दौरान वह वहां सप्ताह के अंत में आ जाती थी। उसने एफ.आई.आर. में दहेज की मांग बाबत् कोई निश्चित दिनांक व दिन अंकित नहीं किया है। विवाह के पश्चात् वह गोवा घूमने चली गयी थी। प्रदर्श डी 1 ता डी 11 उसकी गोवा की फोटोज हैं, जिनमें वह कहीं भी दुखी व प्रताड़ित नजर नहीं आ रही है तथा इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि एफ.आई.आर. में उसने विशिष्ट कथन नहीं किये कि उसे किस प्रकार प्रताडित किया। स्पष्टीकरण के रूप में कहा कि उसे शारीरिक व मानसिक रूप से यातना देने बाबत् लिखा है। उसे किस प्रकार से शारीरिक व मानसिक प्रताडना दी थी, यह उसने एफ.आई.आर. में नहीं लिखा। शादी के तुरन्त बाद दहेज के लिये प्रताडित करने की शिकायत उसने किसी को नहीं की। शादी के एक--डेढ़ महीने बाद वह अपने पीहर गयी थी, वहां दो महीने रही थी और सप्ताह के अंत में अपनी ससुराल जाती थी। इस दौरान फोन पर परेशान करता था। घरवालों को बताने पर सामाजिक स्तर पर या पुलिस में कोई कार्यवाही नहीं की। एफ.आई.आर. दि. 23.2.15 की है। नोटिस धारा 13 पारिवारिक न्यायालय के हैं, उस पर उसका पता सही लिखा है तथा गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न की जानकारी नहीं होना बताया कि दि. 5. 2.15 को उसकी माता को धारा 13 के नोटिस की जानकारी हो गयी हो। उसे नोटिस की जानकारी, जब नोटिस उसे मिला, तब हुई थी। पारिवारिक

सत्य-प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
...जिला जयपुर

न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श डी 12 व नोटिस प्रदर्श पी 13 के संबंध में यह सही होना बताया कि दि. 28.11.14 को पारिवारिक न्यायालय में जसप्रीत ने उसके विरूद्ध तलाक की याचिका पेश कर दी, जिसके 2–3 महीने बाद उसने एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि उसे बीएड करने भेज दिया था, वह नोयडा में स्वयं नौकरी करती थी। प्रदर्श डी 13 ता डी 15 विवाह के पश्चात् के एक माह बाद के सेलेब्रेशन के फोटोज हैं। प्रदर्श डी 16 ता डी 18 शादी के बाद के फोटोज हैं, जिनमें वह खुश नजर आ रही है। शादी में दिये गये सामान का बिल पत्रावली में पेश नहीं है। शादी के कुछ समय बाद ही वर्ना गाडी की डिमाण्ड हो गयी थी। प्रदर्श डी 22 से डी 27 उसकी प्रथम मेरिज एनीवर्सरी के फोटोज हैं, जिनमें वह अपने परिवार के साथ नजर आ रही है। प्रदर्श डी 28 से डी 33 पति के साथ मनाली घूमने गयी थी, उसकी फोटोज हैं। प्रदर्श डी 34 से डी 42 उसके व उसके पति के फोटोग्राफ्स हैं। उसकी दोस्त उसके घर आती थी, उनकी फोटो प्रदर्श डी 43 से डी 45 हैं। प्रदर्श डी 46 से डी 48 उनकी वैष्णो देवी जाने के समय की फोटोज हैं। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि जब वह नोयडा रहते थे उसकी माताजी से उसकी रोज बात होती थी। सितम्बर 2011 से मार्च 2013 तक नोयडा रहने के दौरान वहां उसे बोलते रहते थे, यह बात उसने अपनी माता को नही बतायी क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। बीएड के दौरान मायके आती थी तब उसने दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने की बात माता पिता को नहीं बतायी। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत होना बताया कि उनके झगडे का मूल कारण, सास के साथ रहना हो, बल्कि दहेज की बात को लेकर भी था तथा गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत होना बताया कि उसकी सास उसे प्यार करती हो। गर्भावस्था के दौरान यू.एस.ए. में उसकी सास ने रात–रात भर जागकर उसकी देखभाल की थी तथा गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि गर्भावस्था के दौरान उसकी सास व पति ही मेडिकल चेकअप करवाने ले जाते थे, अंतिम दिनों में उसकी सास लेकर जाती थी। प्रदर्श डी 49 ता डी 77 उसके यू.एस.ए. में हुए ईलाज के बिल व फोटोग्राफ्स हैं। गवाह ने

इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि यू.एस.ए. में उसे तकलीफ होती तो उसके माता–पिता मिलने चले जाते, स्पष्टीकरण के रूप में गवाह ने कहा कि उसके माता पिता के पास पासपोर्ट, वीजा, पैसे नहीं थे। उसने यू.एस.ए. में भारतीय दूतावास में कोई शिकायत नहीं की। प्रदर्श डी 78 से डी 80 उसकी बेबी के फोटो हैं। यू.एस.ए. पहुंचते ही उसका पति नाईग्रा फॉल घुमाने ले गया था, जिनके फोटो प्रदर्श डी 81 ता डी 86 हैं तथा 15 दिन बाद उसका जन्म दिन था, जो उसके पति ने मनाया था, जिसकी फोटो प्रदर्श डी 87 ता डी 89 हैं। गवाह अपनी सास के साथ घूमने जाती थी, जिसके फोटो प्रदर्श पी 90 से डी 101 हैं। जब वह भारत वापस आई, तब उसका पति उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था। उसके पास कॉफी लगेज था जिसकी फोटो प्रदर्श डी 102 ता डी 105 हैं। उसकी शिकागो से दिल्ली व दिल्ली से जयपुर की टिकिट उसके पति ने बुक करवायी थी, जो प्रदर्श डी 106 व डी 107 हैं तथा गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत बताया कि दिल्ली से जयपुर की 15,000रूपये की टिकिट इसलिये बुक कराया हो क्योंकि उसके माता पिता ने उसे लाने से मना कर दिया हो। प्रदर्श डी 108 बीमा पालिसी है, जिसके बारे में उसने जानकारी होने से इंकार किया है, परन्तु गवाह ने यह कथन किया है कि प्रदर्श डी 109 में दिनांक 2.11.15 से दि. 11.3.16 तक उसके व उसके पति के मध्य की गई चैटिंग का रिकार्ड है, जिसमें उसने मेडिकल पालिसी के भुगतान के बिल अपने पति को भिजवाये हैं। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि दि. 27.10.13 से 12.11.17 तक उसका पति उसे लगभग 4 लाख रूपये का भरण पोषण स्वैच्छया अदा कर रहा है। भरण पोषण का आदेश किसी न्यायालय से नहीं हुआ है। प्रदर्श डी 110 भरण पोषण की राशि बाबत् बैंक का स्टेटमेंट है। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि उसके परिवारजन द्वारा उसके पति, सास व ननद को सोने की आभूषण देने, वर्ना डीजल कार की मांग वाली बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 111 में लिखी हुई नहीं है, स्पष्टीकरण के रूप में कथन किया कि वर्ना कार की मांग बाबत् लिखा है तथा गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 1 का सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे व के से एल भाग

पुलिस बयान प्रदर्श डी 111 में नहीं लिखा है। पुलिस बयान प्रदर्श डी 111 में कहीं पर भी वर्ना कार के स्थान पर 10 लाख रूपये देने की बात अंकित नहीं है तथा गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत होना बताया कि दि. 5.10.11 को उसकी माता की तबीयत अचानक खराब हो जाने पर उसके पिताजी ने उसका एयर टिकिट कराकर जयपुर बुलाया हो और 10 अक्टूबर को उसके पति ने उसे यह कहकर बुला लिया हो कि तुम्हारी माता से मिल ली हो तो आ जाओ। उसकी बेटी का जन्म दि. 6.7.13 को हुआ। दि. 3 जुलाई को उसके पति व सास ने उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी 111 में बेटी के होने के दो दिन पहले मारपीट करने वाली बात गलत है। 3 जुलाई को मारपीट वाली बात उसने अपने चचेरे भाई को तब नहीं बतायी थी, बाद में बतायी थी। 5 तारीख को कोई मारपीट नहीं हुई। 3 तारीख को हुई मारपीट में उसके हाथों में नील पड़े थे। डॉक्टर को मारपीट बाबत् नहीं बताया, वह घर नहीं बिखेरना चाहती थी। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि उसके पति ने उसकी डिलीवरी, टिकिट व भरण पोषण में लगभग 11 लाख रूपये खर्च किये हैं यदि उसका पति लालची होता तो उसकी डिलीवरी जयपुर में कराकर 4 लाख रूपये बचा सकता था तथा स्वैच्छया से भरण पोषण नहीं देता तो 4 लाख रूपये बचा सकता था, इतने पैसो में वर्ना कार आ सकती थी। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि उसकी सास उसकी देखभाल करने दि. 3.4.13 को यू.एस.ए. आई थी। रिटर्न टिकिट दि. 5.11.13 थी। दि. 11.10.13 को उसकी सास उसके द्वारा झगड़ा करने के कारण चली गयी हो, इस सुझावात्मक प्रश्न को गवाह ने गलत होना बताया है। उसके पति ने धारा 26 हिन्दू मैरिज एक्ट का प्रा. पत्र पेश किया था। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत होना बताया कि वह अपनी सास को साथ नहीं रहना चाहती हो, इसलिये उसने मुकदमा दर्ज कराया है। उसने दहेज का सामान सुपुर्द करने का कोई दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी को नहीं दिया। उसकी सास द्वारा दिये गये सोने के कडे उसके ही पास हैं।

इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया जाये तो उक्त गवाह प्रकरण की परिवादिया है, जिसके द्वारा अपने मुख्य

परीक्षण में अपने पति व सास द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे समय समय पर प्रताडित करने का कथन किया है, परन्तु अधिवक्ता अभियुक्त का बचाव रहा है कि स्वयं परिवादिया अपनी सास से व्यथित होकर, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अभियुक्त की ओर से विवाह के कुछ समय पश्चात् ही गोवा घूमने जाने तथा उसके पश्चात् समय समय पर परिवादिया, उसके पति व अन्य परिवारजन के फोटोज भी पेश किये हैं, जिनमें परिवादिया खुश नजर आ रही है तथा यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा उसके विरूद्ध तलाक याचिका का प्रार्थना पत्र दि. 28.11.14 को प्रस्तुत करने पर, दो–तीन महीने बाद उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दि. 23.2.15 को पेश की थी तथा परिवादिया द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि प्रथम डिलीवरी का खर्चा उसके पति द्वारा यू.एस.ए. में उठाया गया था तथा भरण पोषण के रूप में भी उसके पति ने उसे लगभग 4 लाख रूपये दिये हैं। परिवादिया द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में उसके पति द्वारा नौकरी नहीं करने का ताना देना बताया है, जबकि परिवादिया ने यह स्वीकार किया है कि वह नोयडा में स्वयं नौकरी करती थी तथा यह भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि सन् 2010 से 2015 के मध्य कोई भी सामाजिक पंचायत नहीं बुलाई, ना ही कोई पुलिस में शिकायत की तथा स्वयं परिवादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल भाग प्रदर्श डी 111 में नहीं लिखाना स्वीकार किया है।

गवाह पी.ड. 2 शशि परिवादिया की माता व पी.ड. 3 राकेश परिवादिया का पिता है, जिनके द्वारा साक्ष्य दी गयी है कि परिवादिया की शादी अभियुक्त से हुई थी। शादी में करीब 15 लाख रूपये खर्च किये थे और सोने चांदी के जेवरात व अन्य समस्त सामान दिया था। वर्ना कार की डिमाण्ड थी, परन्तु सेन्ट्रो कार दी थी जो मिनाक्षी के नाम से दी थी, इस पर जसप्रीत नाराज रहने लगा। परिवादिया के बीएड का खर्चा परिवादिया के माता पिता ने ही उठाया था तथा अपने मुख्य परीक्षण में परिवादिया के कथनों की ताईद करते हुए, परिवादिया को दहेज की मांग के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने का कथन किया है।

गवाह पी.ड. 2 शशि ने आगे यह भी साक्ष्य दी है कि बीएड की परीक्षा देने पर जसप्रीत ने उसे तलाक देने के लिये कहा ओर उसे रात 10 बजे घर से निकाल दिया। इस पर गवाह ने अपने भतीजे को फोन कर, उसको लेकर आने

के लिये कहा। (यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसी कोई साक्ष्य परिवादिया की नहीं है) यू.एस.ए. में अभियुक्त का स्थानांतरण हो जाने पर परिवादिया को इस शर्त पर बुलाया कि 10 लाख रूपये वह उसकी माताजी को देवे। यू.एस.ए. में भी परिवादिया को जसप्रीत द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया जाता था। उसकी बेटी को खर्चा नहीं देता था, जिसपर परिवादिया ने उन्हें फोन कर बताया था तथा ऑफिस से आकर कहता था कि भारत चली जाओ, जिस पर परिवादिया को भारत बुला लिया तथा दूसरे दिन ही माफी मांग ली तथा जसप्रीत ने परिवादिया को वापस बुला लिया। गर्भावस्था के दौरान भी जसप्रीत ने परिवादिया के साथ मारपीट की तथा उसकी मां ने उसे गालियां निकाली।

गवाह पी.ड. 2 शशि ने यह भी कथन किया है कि उसकी सास कहती थी कि वह उसको ठिकाने लगाकर बेटे के साथ रहने नहीं देगी। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि शादी में 15 लाख रूपये खर्चा हुआ था। 15 लाख रूपये का काई हिसाब अनुसंधान अधिकारी को नहीं दिया था क्योंकि उससे नहीं मांगा था। शादी से पहले दहेज की मांग करने की बात पुलिस को बतायी थी लेकिन पुलिस बयान प्रदर्श डी 112 में क्यों नहीं लिखा उसे पता नहीं, अज खुद कहा कि उन्होंने पुलिस को नहीं बताया था। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि उसे जानकारी है कि जसप्रीत ने तलाक का मुकदमा किया है। तलाक का नोटिस उसे कब मिला, याद नहीं। प्रदर्श डी 113 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। कोर्ट का कोई आदमी कागज देकर गया था। परिवादिया ने शादी के 2–3 महीने बाद ही उसके ससुरालवालों द्वारा परेशान करने की बात बतायी थी। (यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वयं परिवादिया ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि जब वह सितम्बर 11 से मार्च 2012 मे नोयडा में रही, उस दौराने यह बातें उसने अपने माता पिता को नहीं बतायी तथा बीएड के दौरान मायके आने पर भी दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने की बात माता पिता को नहीं बतायी थी। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा शादी के दो–तीन महीने में ही ससुराल वालों द्वारा परिवादिया को परेशान करने की बात परिवादिया द्वारा बताना कथित किया, जबकि स्वयं परिवादिया ने इससे इंकार किया है। अतः इस गवाह के कथनों में विरोधाभास है)

गवाह पी.ड. 2 शशि ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने सामाजिक स्तर पर ना तो पंचायत बुलाई, ना ही रिश्तेदारों को बताया। पति व ससुराल वालों की आपत्ति के बावजूद उन्होंने अपनी पुत्री को बीएड करवायी थी। परिवादिया की

सत्य-प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक

सास उसे टोकाटाकी करती थी कि यहां तक जाओ, यह मत खाओ। सास अकेली रहती थी, इसलिये उसके पास बैठी रहो, इस तरह की यातनाओं की सूचना परिवादिया उसे बताती थी। जयपुर व नोयडा रहने के दौरान जो बातें हुई, वह बातें उन्हें परिवादिया ने ही बतायी थी। अमेरिका जाने के बाद परिवादिया से उसकी हमेशा बात होती थी। जसप्रीत अपनी पत्नी का जन्म दिन नहीं मनाता था, घुमाकर नहीं लाता था, उसे खुश नहीं रखता था (यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की ओर से इसके संबंध में फोटोग्राफ पेश किये गये हैं, जिनमें परिवादिया का जन्मदिन मनाने बाबत् तथा भिन्न-भिन्न स्थानों पर घूमाना व खुश रखना साबित है।)

गवाह पी.ड. 2 ने यह भी स्वीकार किया है कि शादी के 7 दिन बाद उसकी बेटी अपने पति के साथ गोवा चली गयी थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसे तो एक ही बात याद है कि वह उसकी बेटी को तंग करता था और कोई बात याद नहीं है। प्रदर्श डी 113 में शिकागो में मारपीट की दिनांक 5.7.13 अंकित है, जबकि उसने 3 जुलाई 13 बतायी थी, उसमें 5 जुलाई 13 क्यों अंकित है, उसे पता नहीं। डिलीवरी से समय परिवादिया कितने दिन पहले भर्ती हुई, उसे पता नहीं है, क्योंकि उस दौरान उसकी परिवादिया से बात नहीं हो रही थी। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत होना बताया कि 5 अक्टूबर 2012 से पहले उसकी परिवादिया से बात हुई हो। उसकी तबीयत खराब होने के कारण, उसने परिवादिया को जयपुर बुलाया हो तथा इस कारण से वह जयपुर आई हो। 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच पुलिस कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वह अपनी बेटी का घर बसाना चाहती थी। डिलीवरी से पहले जसप्रीत ने उसकी बेटी की जांच, ईलाज सभी करवाया। वह अपने पति का पूर्ण कर्तव्य निर्वहन करता था। परिवादिया की देखभाल के लिये उसकी सास को बुलाया था तथा इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत बताया कि जिस दिन टिकिट बुक कराया, उसके एक महीने पहले लड़ झगडकर वापस भेजा दिया हो क्योंकि उसकी डिलीवरी हो चुकी थी तथा जसप्रीत की मां को लकवा आने के कारण वह अपनी पत्नी को जयपुर में रहकर उसकी मां की सेवा करने के लिये कहा हो, जिसके लिये परिवादिया ने इंकार कर दिया हो। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले जसप्रीत ने तलाक याचिका पारिवारिक न्यायालय में दर्ज करवा दी थी। शादी के समय बेटी को सामान, उपहारस्वरूप दिया था, जो बेटी को ही दिया था। प्रदर्श पी 13 में वर्णित तीन लगातार बारह सामान का उपयोग हो चुका हो, इसलिये उन्होंने नहीं लिया हो,

सत्य प्रतिलिपि

इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत होना बताया। सास द्वारा दिया गया सामान प्रदर्श पी 11 में वर्णित है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि जसप्रीत से कोई शिकायत नहीं है। परिवादिया आज भी साथ रहना चाहती है। जिस मकान में रह रहे हैं, उस मकान को नहीं बेचा है। उस मकान को बेचने की उसे जानकारी नहीं है।

गवाह पी.ड. 3 राकेश कुमार ने भी अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि सेन्ट्रो कार का बीमा प्रदर्श पी 15, प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 16, दीपशिखा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की रसीद प्रदर्श पी 17, प्रवेश की रसीद प्रदर्श पी 18, पी.टी.ई.टी का चालान प्रदर्श पी 19, टिकिट प्रदर्श पी 20, एयर टिकिट प्रदर्श पी 21, फोटोज प्रदर्श पी 22 ता पी 40 शामिल पत्रावली हैं। जिरह में गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि लड़का सही था, परिवार भी सही था, इसलिये उन्होंने शादी की थी। उसने जो सेन्ट्रो कार दी थी, वह दामाद की डिमाण्ड के अनुसार दी थी। शादी में उसने दहेज नहीं दिया था। उसने विवाह में 15 लाख रूपये खर्च किये थे। 15 लाख रूपये का कोई हिसाब नहीं बनाया था। उसकी मेल आई.डी. rkb15461@hotmail.com है। गवाह ने यह सही होना बताया कि उसने अपनी मेल आई.डी से जसप्रीत की मेल आई.डी. पर एक लेटर अटैच करके भेजा था, जिसकी दिनांक उसे याद नहीं। प्रदर्श डी 115 वही लेटर है, जो उसने जसप्रीत को भेजा था। प्रदर्श डी 115 का ए से बी भाग सही है। प्रदर्श डी 115 पत्र में दहेज मांगने, उसके लिये परिवादिया को प्रताडित करने व वर्ना कार नहीं देने पर नाराज होने व 10 लाख रूपये की कोई मांग की बात नहीं लिखी है। गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत होना बताया कि पत्र में यह लिखा है कि वह अपनी पुत्री को समझा नहीं पाया, बल्कि यह लिखा है कि वह दोनों को नहीं समझा जाये। प्रदर्श पी 33 फोटो में जसप्रीत को सेन्ट्रो कार की चाबी संभला रहे हैं। आयकर विभाग से शादी के खर्च बाबत नोटिस मिला था। उक्त नोटिस का उसने जवाब दिया था, जिसमें शादी के खर्च का विवरण दिया था तथा यह सही होना बताया कि नोटिस के जवाब के साथ जो दस्तावेज उसने पेश किये, उसके साथ शादी में हुए खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया। प्रदर्श पी 2 के अलावा उसने अन्य कोई ब्यौरा शादी में हुए खर्च का पत्रावली में पेश नहीं किया। प्रदर्श पी 2 में कहीं कोई राशि अंकित नहीं है। कब–कब परिवादिया से मिलने गया तथा उसकी सास ने अनबने ढंग से उससे बातें की, इसकी तारीखें उसे याद नहीं। उक्त तारीखे उसने अपने पुलिस बयान व न्यायालय में हुए बयान में नहीं लिखायी है। शादी के तुरंत बाद परिवादिया जसप्रीत

सत्य-प्रतिलिपि
सत्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला जयपुर

के साथ गोवा में चली गयी थी। अमेरिका में परिवादिया को प्रताडित करने की बाते, परिवादिया ने उसकी पत्नी को फोन पर बतायी थी। बीएड करने के दौरान उसकी बेटी ने उसे प्रताडित करने बाबत् नहीं बताया, उसकी पत्नी ने बताया था (यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वयं परिवादिया ने यह साक्ष्य दी है कि इस दौरान उसने प्रताड़ना बाबत् कोई भी सूचना अपने परिवारजन को नहीं दी थी)। उसे जानकारी होने पर उसने कोई पुलिस कार्यवाही या सामाजिक कार्यवाही नहीं की तथा इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि जसप्रीत की बहिन व जीजा समझदार थे, इसलिये उनसे बात की थी। उसने विवाह में कोई दहेज नहीं दिया तथा अभी तक उसने कोई मकान नहीं बेचा है। कब-कब उससे 10 लाख रूपये की मांग की, इसकी कोई तारीखें मुख्य परीक्षण में नहीं बतायी। उसकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है तथा इससुझावात्मक प्रश्न को गलत बताया कि दि. 5.10.12 को परिवादिया को अमेरिका से उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर बुलाया हो तथा यह सही होना बताया कि परिवादिया 5 दिन पश्चात् उसकी पत्नी से मिलने के बाद वापस चली गयी हो। परिवादिया का वापसी का टिकिट जसप्रीत ने कराया था। प्रदर्श डी 13 ता डी 48 व प्रदर्श पी 76 ता डी 105 तक की तस्वीरे विभिन्न दिनांकों की है, जिसमें उसकी बेटी, दामाद के साथ प्रसन्नचित दिखाई दे रही है। उसकी बेटी ने उसे बताया था कि डिलीवरी के लिये जसप्रीत ने शिकागों में 4 लाख रूपये खर्चा किया था। गर्भावस्था में उसे डाक्टर के पास दिखाने ले जाता था तथा इस सुझावात्मक प्रश्न को गलत होना बताया कि उसने नोटिस के साथ जो ब्यौरा दिया था, उसमें बेटी की शादी में 5 लाख रूपये खर्चा करना बताया है। उसकी पुत्री को प्रसव हेतु उसी दिन शिकागो अस्पताल में भर्ती कराया था, वह तीन दिन भर्ती रही तथा इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि प्रदर्श डी 113 पर उसकी पत्नी के हस्ताक्षर हैं (प्रदर्श डी 113 में तलाक याचिका का नोटिस है)। जसप्रीत से उसकी पुत्री ने सामान की मांग, केस किया तब की थी, जो सामान उसने अपनी पुत्री को दिया था, उसके बिल अनुसंधान अधिकारी को नहीं दिये, बिल जसप्रीत के पास है। उसकी पुत्री जब डेढ साल तक अमेरिका नहीं गयी, इस बीच तलाक की याचिका पेश की तो उसे ध्यान नहीं। जसप्रीत अपनी पुत्री के महिने का खर्चा 10000रूपये जब तक अमेरिका में था, भेजता था, अब वह 5,000रूपये भेजता है। विवाह के समय सम्पत्ति सामान की कोई लिस्ट नहीं बनायी। विवाह के समय सामान संभलाया, उसकी रसीद नहीं ली।

सत्य प्रतिलिपि

उक्त गवाह की साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया जाये तो उक्त गवाह परिवादिया का पिता है, उक्त गवाह द्वारा अपनी पुत्री के साथ हुए प्रताड़ना की सूचना अपनी पत्नी को दिये जाने की साक्ष्य दी गयी है। गवाह द्वारा दहेज नहीं दिया जाकर, विवाह मे 15 लाख रूपये खर्चा करने की साक्ष्य दी गयी है तथा अभियुक्त की ओर से प्रदर्शित फोटोग्राफ में भी अपनी पुत्री को उसकी पति के साथ प्रसन्न होना बताया है तथा पुत्री की डिलीवरी में भी जसप्रीत द्वारा 4 लाख रूपये खर्चा करना तथा जसप्रीत द्वारा अपनी पुत्री का मासिक खर्चा दिये जाने का भी कथन किया है। गवाह द्वारा तलाक याचिका के नोटिस प्रदर्श डी 113 पर भी उसकी पत्नी के हस्ताक्षर होने का कथन किया गया है तथा प्रदर्श डी 115 पर ए से बी भाग सही होना भी बताया है, जिसमें गवाह ने अभियुक्त जसप्रीत की ईमेल आई.डी. पर एक पत्र अटैच करके भेजा था। उक्त प्रदर्श के अवलोकन से दर्शित है कि उसमें भी दहेज की मांग व प्रताडित करने बाबत् कोई कथन अंकित नहीं किया गया है, यद्यपि भाग ए से बी में दोनों पक्षों की ओर से गलती होने का उल्लेख किया है तथा कुछ गलती परिवादी पक्ष द्वारा होने का कथन किया है, जिनको वक्त रहते नहीं समझने के कारण वह विकराल रूप में उनके सामने खडी होने का अंकन किया है तथा उसमें स्पष्ट अंकन किया है कि अभियुक्त की ओर से भी कुछ हद तक संभालने की कोशिश की गई, मगर परिवादीगण की ओर से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, (अभियुक्त) ने भी बीच में ही किनारा करने की ठान ली, अपनी गलतियों का अहसास होने तथा पछतावा होने व उन्हें ठीक करना चाहने बाबत् अंकन है।

इस प्रकार उक्त पत्र में भी किसी प्रकार के दहेज की मांग व प्रताड़ना के संबंध में अंकन नहीं किया जाकर, परिवादी पक्ष से हुई गलतियों का भी अंकन किया है।

गवाह पी.ड. 4 सुनिता बायल प्रकरण की अनुसंधान अधिकारी है, जिसके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 3 होने व गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करने की साक्ष्य दी गयी है। गवाह ने शादी का कार्ड, विवाह के समय दिये गये सामान व विवाह संबंधी अन्य फोटोग्राफ्स को शामिल पत्रावली करने की साक्ष्य दी है। अभियुक्त जसप्रीत द्वारा उपस्थित थाना होकर दहेज का सामान पेश किया गया, जिसकी परिवादिया ने पहचान करना व सामान को वहीं परिवादिया को संभलाना बताया। फर्द पेशगी व सुपुर्दगी प्रदर्श पी 12 है। बकाया सामान की सूची प्रदर्श पी 13 है। जसप्रीत व उसके परिवार के सदस्यों को धारा

सत्य-प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला जयपुर

41ए द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी 14 है। गवाह ने साक्ष्य दी है कि जसप्रीत के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानकर, पत्रावली थानाधिकारी को पेश की, जिसने आरोप पत्र पेश किया। जिरह में गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को सही होना बताया कि 15 लाख रूपये शादी में खर्च होने का कोई हिसाब उसके सामने पेश नहीं किया, ना ही उसने हिसाब मांगा। विवाह के समय दिये गये उपहारों की कोई लिस्ट परिवादी ने उसे पेश नहीं की। विवाह के समय दिये गये उपहारों को किस व्यक्ति को संभलाया, इस संबंध में भी परिवादिया ने उसे नहीं बताया। परिवादिया द्वारा जो दहेज के सामान की लिस्ट प्रदर्श पी 2 दी गयी, उसके सबंध में भी परिवादिया ने कोई बिल या रसीद पेश नहीं की थी। प्रदर्श पी 13 सूची में जो सामान अंकित है, उसमें वजन व हुलिया अंकित नहीं है, परन्तु संलग्न फोटोग्राफ़ में डिजाईन दिख रहा है तथा इस सुझावत्मक प्रश्न को सही बताया कि उसने अपने अनुसंधान में यह पाया था कि परिवादिया गर्भवती थी, इसलिये उसकी देखभाल हेतु अभियुक्त ने अपनी मां को यू.एस.ए. बुला लिया था और स्वस्थ होने के बाद परिवादिया ने अपनी सास को वापस भारत भेजने के लिये अभियुक्त के साथ झगडा करना शुरू कर दिया था। दि. 27.8.13 को अभियुक्त ने अपनी मां को वापस भारत भेज दिया। थाने पर उभयपक्षकारान् की काउन्सलिंग करायी थी। जसप्रीत अपनी पुत्री व पत्नी के भरण पोषण हेतु 10,000रूपये प्रतिमाह भेज रहा था। जसप्रीत की मां 75 साल की बुजुर्ग महिला है, जिसे लकवा है, जिसके कारण वह बिस्तर पर ही रहती है। जसप्रीत अपनी मां को नहीं छोड़ना चाहता था, इस बात का विवाद पति-पत्नी में था, जो कि उसके सामने काउन्सलिंग में आया था तथा इसी बात को लेकर काउन्सलिंग विफल हो गयी थी क्योंकि परिवादिया पति के साथ रहना चाहती थी, किंतु उसकी मां के साथ रहना नहीं चाहती थी।

इस प्रकार उक्त गवाह प्रकरण की अनुसंधान अधिकारी है, गवाह द्वारा दौराने अनुसंधान यह स्थिति प्रकट होने की साक्ष्य दी है कि परिवादिया ने डिलीवरी के बाद अपनी सास को वापस भारत भेजने के लिये अभियुक्त के साथ झगडा करना शुरू कर दिया था तथा गवाह द्वारा उभयपक्षकारान् की काउन्सलिंग करवाने की साक्ष्य भी दी गयी है, जिसमें उसने पाया कि परिवादिया अपने पति के साथ तो रहना चाहती थी, किंतु उसकी मां के साथ रहना नहीं चाहती थी।

उक्त सभी गवाहान की साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया जाये तो यह दर्शित है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध दहेज की मांग को

प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि शाखा
जिला जयपुर

लेकर परिवादिया के साथ विवाह के तुरन्त पश्चात् व समय समय पर जिसमें नोयडा व यू.एस.ए. में शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाये गये हैं, परन्तु अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत भिन्न–भिन्न समय, स्थानों व कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स पेश किये गये हैं, जिनमें परिवादिया अपने पति के साथ प्रसन्नचित दिखाई दे रही है। परिवादिया की माता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त अपनी पत्नी का जन्मदिन नहीं मनाता थ, घुमाकर नहीं लाता था, अपनी पत्नी को खुश नहीं रखता था, परन्तु उक्त प्रदर्शित दस्तावेजात से इन कथनों की पुष्टि नहीं होती है। परिवादिया ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया है कि विवाह के तुरंत पश्चात् उससे वर्ना कार की मांग की गई थी, परन्तु उक्त सभी गवाहान द्वारा यह साक्ष्य दी गयी है कि विवाह के सप्ताहभर पश्चात् परिवादिया अपने पति के साथ गोवा गयी थी, उक्त समय के फोटोग्राफ भी प्रदर्शित कराये गये हैं। विवाह के एक महीने बाद तथा अन्य समय के फोटोग्राफ्स में भी परिवादिया प्रसन्नचित दिखाई दे रही हे। स्वयं परिवादिया ने नोयडा में नौकरी करने का कथन किया है और परिवादिया की अपने मित्रों के साथ भी प्रसन्नचित मुद्रा में फोटो पेश की गयी है, जिसमें भी किसी प्रकार से मित्रों से मिलने की कोई पाबंदी हो, यह दर्शित नहीं होता है। प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में परिवादिया अपनी सास के साथ गर्भावस्था के दौरान शिकागो में रही है, उसकी सास ने गर्भावस्था के दौरान उसकी देखभाल की है। परिवादिया की पुत्री के जन्म के पश्चात् भी परिवादिया अपने पति व अपनी सास के साथ प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे रही है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादिया का अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहना, अपने अनुसंधान में पाया गया है। आरोप पत्र में भी यह अंकित किया गया है कि परिवादिया की डिलीवरी के पश्चात् पूर्ण स्वस्थ होने के उपरांत अभियुक्त से अपनी सास को भारत भेजने के लिये झगड़ा करने लगी। परिवादिया द्वारा अपने तहरीरी रिपोर्ट में ननद व ननदोई द्वारा भी दहेज हेतु प्रताडना देना अंकित किया है, जबकि गवाह पी.ड. 3 राकेश जो कि स्वयं परिवादिया के पिता है, ने अपनी जिरह में कथन किया है कि ननद व ननदोई समझदार थे, उनसे बात की थी। परिवादिया ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में व अपने बयानों में भी सास द्वारा दहेज हेतु प्रताडित करने का कथन किया है, परन्तु स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने परिवादिया की सास के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना और आरोप पत्र केवल अभियुक्त के विरूद्ध पेश किया है। इससे भी यह दर्शित है कि परिवादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट बढ़ा–चढ़ाकर पेश की गई है।

सत्य-प्रतिलिपि

गवाह पी.ड. 2 शशि ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त जसप्रीत अपना पति होने का पूर्ण कर्तव्य निर्वहन करता था। जसप्रीत से कोई शिकायत नहीं है तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सभी गवाहान द्वारा यह कथन किया गया है कि तलाक याचिका प्रस्तुत होने के बाद उसका नोटिस मिलने के बाद यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उक्त तलाक याचिका प्रस्तुत होने के उपरांत काउन्टर ब्लास्ट के रूप में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन से भी दर्शित है कि परिवादिया को पूर्ण आजादी थी, समय-समय पर वह अपने पति के साथ घुमने भी जाती थी और अभियुक्त उसे खुश रखता था। अतः दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त ने परिवादिया को प्रताड़ित किया हो, यह संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता है।

जहां तक धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध का प्रश्न है, स्वयं परिवादिया ने कथन किया है कि उसे उसके विवाह में सोने के जेवर, इलेक्ट्रोनिक्स का सामान, फर्नीचर, सेन्ट्रो कार व अन्य घरेलू सामान दिया था। स्वयं परिवादिया के पिता ने साक्ष्य दी है कि उसने विवाह में कोई दहेज नहीं देकर, विवाह में खर्चा किया था। गवाहान द्वारा यह भी कथन किया गया है कि शादी में दिये गये सामान का बिल पेश नहीं किया गया है। गवाह पी.ड. 3 राकेश ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि विवाह के समय दिये गये सामान की कोई लिस्ट नहीं बनायी थी, विवाह के समय सामान संभलाया था, उसकी रसीद नहीं ली। गवाह पी.ड. 2 शशि ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि शादी के समय बेटी को सामान उपहारस्वरूप दिया था जो बेटी को ही दिया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहों के बयानों में यह अंकित नहीं किया गया है कि परिवादिया द्वारा उक्त दिये गये सामान को कब-कब मांगा गया तथा इस मांग बाबत् कोई नोटिस दिया गया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथा कब-कब अभियुक्त द्वारा इंकार किया गया है, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। अतः आपराधिक न्यास भंग किया गया हो, यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त ने परिवादिया मिनाक्षी को दहेज के लिए समय-समय पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित कर परिवादिया व उसके परिवारजनों से दहेज की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से मांग की और परिवादिया का स्त्री धन मांगने पर नहीं

लौटाकर आपराधिक न्यासभंग कारित किया हो, यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को धारा 498–ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार किया जाना ही न्यायसंगत, न्यायोचित एवं विधिवत् है।

<u>आदेश</u>

फलतः अभियुक्त जसप्रीत सिंह कमल पुत्र स्व. दर्शन सिंह कौर जाति पंजाबीनिवासी ए–365 विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर हाल वालग्रीन 308, वीलमोट रोड, डीयरफील्ड इलनॉय शिकागो यू.ए.एस. को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए, 406 के आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में माल वजह सबूत जब्त नहीं है।

प्रकरण में प्रस्तुत अभियुक्त के पासपोर्ट को बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अन्यथा आदेश नहीं होने पर नियमानुसार अभियुक्त को लौटाया जावे।

अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अभियुक्त अपनी उपस्थिति बाबत् धारा 437–ए दं.प्र.सं. के तहत छः माह की अवधि के लिए 20,000 रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश करें।

12-4-19
प्रीति चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं. 1 जयपुर
जयपुर जिला, जयपुर

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12 अप्रैल, 2019 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

12-4-19
न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं. 1 जयपुर
जयपुर जिला, जयपुर